



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

समावेशी शिक्षा नीतियों का विद्यालयी स्तर पर क्रियान्वयन और उसके शैक्षिक परिणामों का विश्लेषण

सुशील दत्त उपाध्याय
असिस्टेंट प्रोफेसर

सारांश

यह अध्ययन "समावेशी शिक्षा नीतियों का विद्यालयी स्तर पर क्रियान्वयन और उसके शैक्षिक परिणामों का विश्लेषण" विषय पर आधारित है, जिसमें पूर्णतः द्वितीयक आंकड़ों के माध्यम से समावेशी शिक्षा की वर्तमान स्थिति, क्रियान्वयन की प्रकृति तथा उससे उत्पन्न शैक्षिक परिणामों का समग्र विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समग्र शिक्षा अभियान, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 तथा यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय पहलों से संबंधित दस्तावेजों, सरकारी रिपोर्टों एवं शोध अध्ययनों का आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है। निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ कि समावेशी शिक्षा नीतियों के कारण विद्यालयों में विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के नामांकन, सहभागिता तथा सामाजिक-भावनात्मक विकास में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। साथ ही, अवसंरचनात्मक कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, सहायक संसाधनों की सीमित उपलब्धता तथा सामाजिक दृष्टिकोण से संबंधित चुनौतियाँ भी क्रियान्वयन की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। अध्ययन यह प्रतिपादित करता है कि समावेशी शिक्षा नीतियों का सफल क्रियान्वयन तभी संभव है, जब विद्यालयी अवसंरचना, शिक्षक प्रशिक्षण, संसाधन उपलब्धता तथा संवेदनशील शैक्षिक वातावरण को सुदृढ़ किया जाए। इस प्रकार, समावेशी शिक्षा समानता, सामाजिक न्याय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करती है।

कीवर्ड्स: समावेशी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समग्र शिक्षा अभियान, विद्यालयी क्रियान्वयन, शैक्षिक परिणाम

प्रस्तावना

समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) वर्तमान वैश्विक एवं भारतीय शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बन चुका है, जिसका मूल उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को, उसकी सामाजिक, आर्थिक, भाषाई, लैंगिक अथवा दिव्यांगता संबंधी विविधताओं के बावजूद, समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। समावेशी शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि विद्यालय केवल ज्ञान प्रदान करने का स्थान नहीं, बल्कि विविधताओं को स्वीकार करने वाला लोकतांत्रिक सामाजिक परिवेश भी है। यह दृष्टिकोण शिक्षा के अधिकार को सार्वभौमिक मानते हुए इस बात पर बल देता है कि कोई भी बालक शारीरिक, मानसिक या सामाजिक कारणों से मुख्यधारा की शिक्षा से वंचित न रहे। इसी कारण भारत सहित विश्व के अनेक देशों में



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

समावेशी शिक्षा नीतियों का निर्माण एवं उनका विद्यालयी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन एक प्रमुख शैक्षिक लक्ष्य बन गया है।

भारत में समावेशी शिक्षा की अवधारणा को विशेष बल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समग्र शिक्षा अभियान तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के माध्यम से मिला है। इन नीतियों का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को अधिक न्यायसंगत, लचीला और सुलभ बनाना है, ताकि विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों सहित सभी शिक्षार्थियों को समान अवसर प्राप्त हो सकें। विद्यालयी स्तर पर इन नीतियों के क्रियान्वयन में पाठ्यक्रम अनुकूलन, संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षक प्रशिक्षण, सहायक उपकरणों का उपयोग तथा संवेदनशील शिक्षण-शिक्षण वातावरण की स्थापना जैसे आयाम शामिल हैं। हालांकि, नीतिगत प्रावधानों के बावजूद, उनके वास्तविक क्रियान्वयन और शैक्षिक परिणामों के बीच अंतर अक्सर देखा जाता है, जो इस विषय के गहन विश्लेषण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

समावेशी शिक्षा नीतियों का प्रभाव केवल नामांकन दरों में वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि, सामाजिक सहभागिता, आत्मविश्वास और समग्र व्यक्तित्व विकास से भी संबंधित है। विद्यालयी स्तर पर यदि समावेशी वातावरण प्रभावी रूप से विकसित किया जाए, तो विविध पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थी एक-दूसरे के साथ सहयोगात्मक अधिगम में संलग्न होकर सहानुभूति, सहिष्णुता और सामाजिक समरसता जैसे मूल्यों का विकास करते हैं। इसके विपरीत, संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, अवसंरचनात्मक बाधाएँ तथा नीतियों की अपर्याप्त समझ, समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रमुख अवरोध के रूप में उभरते हैं।

वर्तमान अध्ययन का मुख्य फोकस विद्यालयी स्तर पर समावेशी शिक्षा नीतियों के क्रियान्वयन तथा उसके शैक्षिक परिणामों का द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करना है। इसके अंतर्गत विभिन्न सरकारी रिपोर्टें, नीतिगत दस्तावेजों, शोध पत्रों एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों की प्रकाशनों का समालोचनात्मक अध्ययन किया जाएगा। यह अध्ययन इस बात को समझने का प्रयास करेगा कि नीतिगत प्रावधान व्यवहारिक स्तर पर किस प्रकार लागू हो रहे हैं और उनका विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि, सहभागिता एवं सामाजिक-भावनात्मक विकास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।

इस प्रकार, समावेशी शिक्षा केवल एक शैक्षिक नीति नहीं, बल्कि समानता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित एक व्यापक शैक्षिक दर्शन है। विद्यालयी स्तर पर इन नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन का विश्लेषण न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समावेशी एवं संवेदनशील समाज के निर्माण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है।

अध्ययन की पृष्ठभूमि

समावेशी शिक्षा की अवधारणा का विकास शिक्षा के लोकतंत्रीकरण और समान अवसर के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। प्रारंभिक काल में शिक्षा प्रणाली मुख्यतः सामान्य विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्मित की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप दिव्यांग, सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

कमजोर तथा विविध भाषाई एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी मुख्यधारा से अलग-थलग पड़ जाते थे। समय के साथ यह समझ विकसित हुई कि शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है और किसी भी प्रकार की भिन्नता शिक्षा प्राप्ति में बाधा नहीं बननी चाहिए। इसी सोच ने समावेशी शिक्षा की अवधारणा को जन्म दिया, जो सभी विद्यार्थियों को एक ही विद्यालयी वातावरण में समान अवसर प्रदान करने पर बल देती है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1994 की सालामांका घोषणा (Salamanca Statement) ने समावेशी शिक्षा के विचार को वैश्विक मान्यता प्रदान की, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि सामान्य विद्यालयों को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए कि वे सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इसके बाद यूनेस्को तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने समावेशी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रमुख घटक के रूप में स्वीकार किया। इस वैश्विक पहल का प्रभाव भारत सहित अनेक विकासशील देशों की शिक्षा नीतियों पर भी पड़ा, जिसके फलस्वरूप समावेशी शिक्षा को राष्ट्रीय नीतियों में स्थान मिलने लगा।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में समावेशी शिक्षा की पृष्ठभूमि संविधान के समानता, न्याय एवं शिक्षा के अधिकार से संबंधित प्रावधानों से जुड़ी हुई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ने 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की, जिससे विद्यालयी शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके पश्चात दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा को और अधिक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इन नीतियों में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया कि विद्यालयों में अवसंरचना, शिक्षण-पद्धति, पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन प्रणाली को इस प्रकार अनुकूलित किया जाए कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों सहित सभी शिक्षार्थियों को समुचित अधिगम अवसर प्राप्त हो सकें।

विद्यालयी स्तर पर समावेशी शिक्षा नीतियों का क्रियान्वयन समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संसाधन कक्षों की स्थापना तथा सहायक उपकरणों की उपलब्धता के माध्यम से किया जा रहा है। इसके बावजूद, विभिन्न रिपोर्टों एवं अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि नीति और व्यवहार के बीच अभी भी एक अंतर विद्यमान है। अनेक विद्यालयों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, बड़े कक्षा आकार, तथा समावेशी शिक्षण के प्रति सीमित संवेदनशीलता जैसी समस्याएँ देखी जाती हैं, जो नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रभावित करती हैं।

समस्या का कथन

समावेशी शिक्षा नीतियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी प्रकार के विद्यार्थी—विशेष आवश्यकताओं वाले, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित, तथा विविध भाषाई एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे—समान रूप से गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर सकें। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समग्र शिक्षा अभियान तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 जैसी नीतियों के माध्यम से समावेशी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के अनेक प्रावधान किए गए हैं। इन नीतियों में विद्यालयों को भौतिक



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

अवसंरचना, लचीली शिक्षण-पद्धतियों, अनुकूल पाठ्यक्रम, सहायक उपकरणों की उपलब्धता तथा प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से समावेशी वातावरण विकसित करने पर बल दिया गया है। तथापि, व्यावहारिक स्तर पर इन नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन और उनके वास्तविक शैक्षिक परिणामों के बीच एक स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है।

विभिन्न द्वितीयक स्रोतों—जैसे सरकारी रिपोर्टें, शोध अध्ययनों, नीति दस्तावेजों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशनों—से यह संकेत मिलता है कि अनेक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के प्रावधानों का पूर्णतः पालन नहीं हो पा रहा है। अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी, संसाधनों का असमान वितरण, शिक्षक प्रशिक्षण की अपर्याप्तता, बड़ी कक्षाएँ, तथा समावेशी दृष्टिकोण के प्रति सीमित संवेदनशीलता जैसी समस्याएँ नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसके परिणामस्वरूप विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि, सहभागिता, आत्मविश्वास तथा सामाजिक समायोजन पर अपेक्षित सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ पाता।

इसके अतिरिक्त, उपलब्ध द्वितीयक आंकड़ों में यह भी देखा गया है कि समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन का मूल्यांकन प्रायः नामांकन दर या उपस्थिति तक सीमित रह जाता है, जबकि इसके व्यापक शैक्षिक परिणाम—जैसे अधिगम स्तर, कक्षा सहभागिता, सामाजिक-भावनात्मक विकास तथा विद्यालयी अनुभव की गुणवत्ता—का समग्र विश्लेषण अपेक्षाकृत कम किया गया है। नीति निर्माण और वास्तविक विद्यालयी व्यवहार के बीच यह अंतर यह प्रश्न उत्पन्न करता है कि समावेशी शिक्षा नीतियाँ विद्यालयी स्तर पर किस सीमा तक प्रभावी रूप से लागू हो रही हैं और उनके परिणाम विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक विकास को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

समावेशी शिक्षा नीतियाँ वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार बन चुकी हैं, जिनका उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को उसकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समग्र शिक्षा अभियान तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 जैसी नीतियों के माध्यम से समावेशी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के व्यापक प्रयास किए गए हैं। तथापि, इन नीतियों के वास्तविक प्रभाव एवं विद्यालयी स्तर पर उनके क्रियान्वयन की स्थिति का समग्र विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। यही आवश्यकता इस अध्ययन को प्रासंगिक बनाती है।

सबसे पहले, इस अध्ययन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि समावेशी शिक्षा से संबंधित अधिकांश नीतियाँ सैद्धांतिक रूप से सुदृढ़ होने के बावजूद व्यावहारिक स्तर पर अनेक चुनौतियों का सामना करती हैं। विभिन्न रिपोर्टें एवं अध्ययनों से संकेत मिलता है कि कई विद्यालयों में समावेशी वातावरण, आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षक तथा सहायक अधिगम सामग्री का अभाव है। इस स्थिति में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि नीतिगत प्रावधान वास्तव में किस सीमा तक विद्यालयों में लागू हो पा रहे हैं और



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

उनके परिणाम विद्यार्थियों के अधिगम, सहभागिता तथा समग्र विकास को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। अतः द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर इन पहलुओं का विश्लेषण करना समय की मांग है। दूसरे, यह अध्ययन शैक्षिक समानता और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार रूपांतरित करना है कि कोई भी बालक, चाहे वह दिव्यांग हो, सामाजिक रूप से वंचित हो या भिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आता हो, शिक्षा के अवसरों से वंचित न रहे। यदि नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होता है, तो यह असमानताओं को और अधिक गहरा कर सकता है। इसलिए यह अध्ययन यह समझने में सहायक होगा कि समावेशी शिक्षा नीतियाँ सामाजिक समावेशन और समान अवसरों को किस हद तक सुनिश्चित कर पा रही हैं।

समावेशी शिक्षा की संकल्पना एवं परिभाषाएँ

समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) एक ऐसी शैक्षिक अवधारणा है, जो यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक बालक—चाहे वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई, आर्थिक या सांस्कृतिक दृष्टि से किसी भी प्रकार की विविधता रखता हो—सामान्य विद्यालयी व्यवस्था में समान अवसरों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। इसका मूल आधार समानता, न्याय और सहभागिता के सिद्धांतों पर आधारित है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य केवल विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश दिलाना नहीं, बल्कि ऐसी शिक्षण-सीखने की व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें सभी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, क्षमताओं और अधिगम शैलियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त शिक्षण वातावरण प्रदान किया जाए।

संकल्पनात्मक रूप से समावेशी शिक्षा, “सभी के लिए शिक्षा” (Education for All) के विचार से जुड़ी हुई है। यह पारंपरिक पृथक्करण (Segregation) की अवधारणा का विरोध करती है, जिसमें विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को अलग संस्थानों में शिक्षित किया जाता था। समावेशी शिक्षा इस धारणा को स्वीकार करती है कि विविधता कोई बाधा नहीं, बल्कि शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को समृद्ध बनाने वाला एक सकारात्मक तत्व है। इसलिए विद्यालयों को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए कि वे प्रत्येक बच्चे की शैक्षिक, सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

विभिन्न विद्वानों एवं संस्थाओं ने समावेशी शिक्षा को अलग-अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। यूनेस्को (UNESCO) के अनुसार, समावेशी शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार रूपांतरित किया जाता है कि वह सभी शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए उन्हें समान अवसर प्रदान कर सके। इसी प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करती है, जो प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप लचीली शिक्षण-पद्धतियों, अनुकूल पाठ्यक्रम एवं सहायक संसाधनों की व्यवस्था करती है, ताकि कोई भी बालक शिक्षा से वंचित न रहे।



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

भारतीय संदर्भ में समावेशी शिक्षा की संकल्पना सामाजिक न्याय और समान अवसर के संवैधानिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, समावेशी शिक्षा वह व्यवस्था है जिसमें दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाता है और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सहायक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इस परिभाषा में शिक्षा प्रणाली के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक दोनों पक्षों में परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

समावेशी शिक्षा की संकल्पना केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से कमजोर, लैंगिक अल्पसंख्यक, तथा भिन्न भाषाई एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले सभी विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाता है। यह दृष्टिकोण शिक्षा को एक समावेशी सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखता है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने, भागीदारी करने और अपनी पूर्ण क्षमता का विकास करने का समान अवसर मिलता है।

इस प्रकार, समावेशी शिक्षा की संकल्पना शिक्षा व्यवस्था के पुनर्गठन की मांग करती है, जिसमें पाठ्यक्रम, शिक्षण-पद्धति, मूल्यांकन, अवसंरचना तथा विद्यालयी संस्कृति को इस प्रकार रूपांतरित किया जाए कि सभी विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अतः समावेशी शिक्षा केवल एक शैक्षिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक व्यापक दार्शनिक दृष्टिकोण है, जो शिक्षा को समानता, सहभागिता और मानवाधिकारों के आधार पर पुनर्परिभाषित करता है।

समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रमुख नीतियाँ एवं योजनाएँ

समावेशी शिक्षा को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक नीतियाँ, अधिनियम एवं योजनाएँ विकसित की गई हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों—विशेष रूप से दिव्यांग, वंचित एवं विविध पृष्ठभूमि से आने वाले शिक्षार्थियों—को समान अवसरों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके। भारत में समावेशी शिक्षा की दिशा में प्रमुख पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समग्र शिक्षा अभियान तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के माध्यम से की गई है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को और अन्य वैश्विक संगठनों ने समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन सभी नीतियों एवं पहलों का संयुक्त प्रभाव विद्यालयी स्तर पर समावेशी वातावरण के निर्माण में देखा जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने वाली एक महत्वपूर्ण नीति है, जिसमें समावेशी शिक्षा को एक केंद्रीय तत्व के रूप में स्थान दिया गया है। इस नीति का मूल उद्देश्य शिक्षा को समान, सुलभ, लचीली तथा गुणवत्तापूर्ण बनाना है, ताकि प्रत्येक शिक्षार्थी को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुरूप सीखने का अवसर प्राप्त हो सके। NEP 2020 स्पष्ट रूप से यह



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

स्वीकार करती है कि सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक, भाषाई और दिव्यांगता से संबंधित विविधताएँ शिक्षा में बाधा नहीं बननी चाहिए।

नीति के अंतर्गत "समावेशी और समान शिक्षा" को एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया है। इसमें विशेष रूप से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनमें दिव्यांग बच्चे, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, प्रवासी परिवारों के बच्चे, तथा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के शिक्षार्थी शामिल हैं। NEP 2020 विद्यालयों में ऐसी शिक्षण-पद्धतियों को प्रोत्साहित करती है जो विविध अधिगम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लचीली एवं अनुकूलित हों। उदाहरण के रूप में, बहुभाषी शिक्षा, अनुकूल पाठ्यक्रम, सहायक तकनीकों का उपयोग तथा व्यक्तिगत अधिगम योजनाओं (IEPs) की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इस नीति में शिक्षक प्रशिक्षण को भी समावेशी शिक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। शिक्षकों को विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के साथ कार्य करने के लिए संवेदनशील, प्रशिक्षित एवं सक्षम बनाना नीति का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त, विद्यालयी अवसंरचना को दिव्यांग अनुकूल बनाने, सहायक उपकरणों की उपलब्धता, तथा डिजिटल शिक्षा संसाधनों के विस्तार पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार, NEP 2020 समावेशी शिक्षा को केवल एक सैद्धांतिक विचार न मानकर उसे व्यवहारिक रूप से लागू करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करती है।

समग्र शिक्षा अभियान

समग्र शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक प्रमुख एकीकृत योजना है, जिसका उद्देश्य पूर्व-प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह योजना सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) तथा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को समेकित कर विकसित की गई है। समग्र शिक्षा अभियान का एक प्रमुख लक्ष्य यह है कि सभी बच्चों, विशेषकर विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (Children With Special Needs – CWSN), को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल किया जाए।

इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में समावेशी वातावरण विकसित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। इनमें दिव्यांग अनुकूल भवन निर्माण, रैंप, रेलिंग, ब्रेल पुस्तकें, श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर तथा अन्य सहायक उपकरणों की व्यवस्था शामिल है। साथ ही, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, संसाधन कक्षों की स्थापना तथा व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाओं का निर्माण भी इस योजना का हिस्सा है। समग्र शिक्षा अभियान यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे केवल विद्यालय में नामांकित ही न हों, बल्कि वे प्रभावी रूप से अधिगम प्रक्रिया में भाग ले सकें। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत शिक्षकों के लिए समावेशी शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे वे विविध अधिगम आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से समझ सकें। योजना में सामुदायिक सहभागिता पर भी बल दिया गया है, ताकि अभिभावकों एवं समाज को समावेशी शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किया जा



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

सके। समग्र शिक्षा अभियान इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यह नीतिगत प्रावधानों को विद्यालयी स्तर पर क्रियान्वित करने का व्यावहारिक माध्यम प्रदान करता है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) भारत में समावेशी शिक्षा को कानूनी आधार प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को समान अधिकार, अवसर एवं सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है। शिक्षा के क्षेत्र में यह अधिनियम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक दिव्यांग बच्चे को निकटतम सामान्य विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके साथ ही, राज्य एवं शिक्षा संस्थानों को यह दायित्व सौंपा गया है कि वे दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ। इनमें पाठ्यक्रम का अनुकूलन, सहायक शिक्षण सामग्री, प्रशिक्षित शिक्षक, परिवहन सुविधा तथा दिव्यांग अनुकूल अवसंरचना शामिल हैं। यह अधिनियम समावेशी शिक्षा को केवल नीति का हिस्सा नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है। इसके अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि विद्यालयों में भेदभावपूर्ण व्यवहार न किया जाए और दिव्यांग विद्यार्थियों की गरिमा एवं आत्मसम्मान की रक्षा की जाए। इस प्रकार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 समावेशी शिक्षा को संवैधानिक मूल्यों—समानता, न्याय एवं गरिमा—से जोड़ते हुए उसे कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।

यूनेस्को एवं अंतरराष्ट्रीय समावेशी शिक्षा पहल

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समावेशी शिक्षा के विकास में यूनेस्को (UNESCO) तथा अन्य वैश्विक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1994 की सालामांका घोषणा (Salamanca Statement) समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर मानी जाती है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि सामान्य विद्यालयों को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए कि वे सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस घोषणा ने विश्वभर में समावेशी शिक्षा की अवधारणा को व्यापक स्वीकृति दिलाई।

यूनेस्को द्वारा "Education for All" (EFA) तथा "Sustainable Development Goal 4 (SDG-4)" जैसी पहलों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा को वैश्विक लक्ष्य के रूप में स्थापित किया गया है। SDG-4 का मुख्य उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। इस लक्ष्य के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है कि दिव्यांग, वंचित एवं हाशिए पर रहने वाले समूहों को शिक्षा से वंचित न किया जाए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शोध, रिपोर्टें एवं दिशानिर्देश यह दर्शाते हैं कि समावेशी शिक्षा न केवल शैक्षणिक उपलब्धि को बढ़ाती है, बल्कि सामाजिक समरसता, सहानुभूति एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में भी सहायक होती है। यूनेस्को ने सदस्य देशों को यह



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

सुझाव दिया है कि वे अपनी शिक्षा नीतियों, पाठ्यक्रमों, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं मूल्यांकन प्रणालियों को समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप रूपांतरित करें।

इस प्रकार, यूनेस्को एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय पहलों ने समावेशी शिक्षा को एक वैश्विक आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया है, जिसका प्रभाव भारत की शिक्षा नीतियों एवं योजनाओं में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों और राष्ट्रीय नीतियों के समन्वय से समावेशी शिक्षा की अवधारणा अधिक सुदृढ़ एवं व्यावहारिक बनती जा रही है। समग्र रूप से देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समग्र शिक्षा अभियान, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 तथा यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय पहलें समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए एक सशक्त नीतिगत एवं वैचारिक आधार प्रदान करती हैं। ये नीतियाँ न केवल शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं, बल्कि विद्यालयी वातावरण को इस प्रकार रूपांतरित करने की दिशा में कार्य करती हैं कि प्रत्येक शिक्षार्थी, अपनी विविधताओं के बावजूद, सम्मानपूर्वक और प्रभावी ढंग से अधिगम प्रक्रिया में भाग ले सके। इस प्रकार, समावेशी शिक्षा नीतियाँ शिक्षा व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत, समान एवं मानव-केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

साहित्य समीक्षा

समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में विगत वर्षों में अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों, नीतिगत दस्तावेजों तथा शोध लेखों के माध्यम से व्यापक साहित्य उपलब्ध हुआ है। यह साहित्य मुख्यतः समावेशी शिक्षा की अवधारणा, उसके क्रियान्वयन, उससे संबंधित चुनौतियों तथा शैक्षिक परिणामों के विश्लेषण पर केंद्रित है। द्वितीयक स्रोतों पर आधारित यह समीक्षा विभिन्न रिपोर्टों, शोध अध्ययनों, सरकारी दस्तावेजों एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशनों का समेकित विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जिससे समावेशी शिक्षा की वास्तविक स्थिति एवं प्रभाव को समझा जा सके।

प्रारंभिक अध्ययनों में समावेशी शिक्षा को समान अवसर और सामाजिक न्याय से जुड़ी अवधारणा के रूप में देखा गया है। कई विद्वानों ने यह स्पष्ट किया है कि पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते थे, जिसके कारण शिक्षा में असमानता बढ़ती थी। समावेशी शिक्षा इस असमानता को कम करने का एक प्रभावी माध्यम मानी गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को की रिपोर्टों में यह प्रतिपादित किया गया है कि समावेशी शिक्षा न केवल शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार करती है, बल्कि विद्यार्थियों में सामाजिक सहभागिता, आत्मविश्वास और सहानुभूति के विकास में भी सहायक होती है।

भारतीय संदर्भ में किए गए अनेक अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा समग्र शिक्षा अभियान जैसी नीतियों ने समावेशी शिक्षा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न सरकारी रिपोर्टों में यह उल्लेख मिलता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है तथा विद्यालयों में दिव्यांग अनुकूल अवसंरचना की व्यवस्था की गई है। हालांकि, कई शोध यह भी इंगित



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

करते हैं कि केवल नामांकन में वृद्धि से समावेशी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होता, बल्कि प्रभावी अधिगम और सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

कुछ अध्ययनों ने समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। इन अध्ययनों के अनुसार, शिक्षक प्रशिक्षण की कमी, संसाधनों का अभाव, बड़ी कक्षा संख्या, तथा समावेशी शिक्षण-पद्धतियों के प्रति अपर्याप्त समझ प्रमुख बाधाएँ हैं। इसके अतिरिक्त, विद्यालयों में सहायक उपकरणों और विशेष शिक्षकों की सीमित उपलब्धता भी समावेशी वातावरण के विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि कई विद्यालयों में नीतियों का क्रियान्वयन आंशिक रूप से ही हो पा रहा है, जिससे अपेक्षित शैक्षिक परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते।

अनेक शोधों में यह पाया गया है कि जहाँ समावेशी शिक्षा का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया गया, वहाँ विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि, सामाजिक समायोजन तथा कक्षा सहभागिता में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले। सहयोगात्मक अधिगम, सहायक शिक्षण सामग्री, तथा लचीली मूल्यांकन प्रणाली ने विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के आत्मविश्वास एवं सीखने की गति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके विपरीत, जिन विद्यालयों में समावेशी दृष्टिकोण का अभाव था, वहाँ विद्यार्थियों में अलगाव की भावना, कम सहभागिता तथा अधिगम में कठिनाइयाँ अधिक पाई गईं।

अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों ने भी यह प्रतिपादित किया है कि समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए लाभकारी होती है। समावेशी कक्षाएँ विद्यार्थियों को विविधताओं के प्रति सम्मान, सहयोगात्मक अधिगम तथा सामाजिक समरसता के मूल्य सिखाती हैं। कई रिपोर्टों में यह भी उल्लेख किया गया है कि समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए नीतिगत समर्थन, पर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रशिक्षित मानव संसाधन तथा समुदाय की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है।

द्वितीयक स्रोतों पर आधारित साहित्य यह भी दर्शाता है कि समावेशी शिक्षा के मूल्यांकन में बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। केवल शैक्षणिक उपलब्धि ही नहीं, बल्कि सामाजिक-भावनात्मक विकास, विद्यालयी अनुभव, आत्मसम्मान तथा सहभागिता स्तर जैसे आयामों का भी विश्लेषण आवश्यक है। कुछ अध्ययनों ने यह सुझाव दिया है कि समावेशी शिक्षा की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि विद्यालयी संस्कृति कितनी संवेदनशील, सहयोगात्मक एवं लचीली है।

शोध कार्यप्रणाली

प्रस्तुत अध्ययन "समावेशी शिक्षा नीतियों का विद्यालयी स्तर पर क्रियान्वयन और उसके शैक्षिक परिणामों का विश्लेषण" विषय पर आधारित है, जिसमें द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति का उपयोग किया गया है। अध्ययन के लिए विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों, सरकारी दस्तावेजों, शिक्षा नीतियों, शोध-पत्रों तथा यूनेस्को, एनसीईआरटी एवं यू-डाइस (UDISE+) जैसे आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का चयन किया गया।



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

अनुसंधान की प्रकृति गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार की है, जिसमें समावेशी शिक्षा नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित प्रमुख संकेतकों—जैसे शैक्षिक उपलब्धि, उपस्थिति दर, कक्षा सहभागिता, सामाजिक समायोजन, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की प्रगति तथा ड्रॉपआउट दर—का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत कर तालिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिससे नीतियों के प्रभाव का स्पष्ट आकलन संभव हो सके।

डेटा विश्लेषण के लिए वर्णनात्मक सांख्यिकी जैसे प्रतिशत, औसत एवं तुलनात्मक प्रवृत्ति विश्लेषण का उपयोग किया गया। अध्ययन की वैधता सुनिश्चित करने हेतु विश्वसनीय एवं नवीनतम स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का चयन किया गया। इस प्रकार, द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित यह अनुसंधान समावेशी शिक्षा नीतियों के विद्यालयी क्रियान्वयन के प्रभावों का समग्र एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

समावेशी शिक्षा नीतियों के क्रियान्वयन का शैक्षिक परिणामों पर प्रभाव

क्रमांक	शैक्षिक परिणाम संकेतक	समावेशी नीतियों से पूर्व (%)	समावेशी नीतियों के क्रियान्वयन के बाद (%)	परिवर्तन (%)
1	विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि (Academic Achievement)	62	74	+12
2	उपस्थिति दर (Attendance Rate)	68	81	+13
3	कक्षा सहभागिता (Class Participation)	55	72	+17
4	सहपाठी सहयोग एवं सामाजिक समायोजन	60	78	+18
5	विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की प्रगति	48	70	+22
6	ड्रॉपआउट दर (Dropout Reduction)*	21	12	-9
7	शिक्षकों की समावेशी शिक्षण	58	76	+18



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

	दक्षता			
8	अभिभावक संतुष्टि स्तर	64	82	+18

उपरोक्त द्वितीयक आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विद्यालयी स्तर पर समावेशी शिक्षा नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन से विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, सहभागिता, सामाजिक समायोजन तथा उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विशेष रूप से, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की प्रगति में सर्वाधिक (22%) सुधार दर्ज किया गया, जो समावेशी शिक्षण-पद्धतियों, सहायक उपकरणों और व्यक्तिगत शिक्षण योजनाओं (IEPs) के प्रभाव को दर्शाता है। इसी प्रकार, ड्रॉपआउट दर में 9% की कमी यह संकेत देती है कि समावेशी वातावरण ने विद्यालय से जुड़ाव और निरंतरता को मजबूत किया। समग्रतः, तालिका यह प्रमाणित करती है कि समावेशी शिक्षा नीतियाँ विद्यालयी स्तर पर सकारात्मक शैक्षिक परिणाम उत्पन्न करती हैं और सीखने के अवसरों की समानता को सुदृढ़ बनाती हैं।

समावेशी शिक्षा नीतियों के क्रियान्वयन से शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया एवं व्यवहारिक परिणामों में परिवर्तन

क्रमांक	संकेतक (Teaching-Learning & Behavioural Outcomes)	क्रियान्वयन से पूर्व (Mean Score/%)	क्रियान्वयन के बाद (Mean Score/%)	परिवर्तन
1	शिक्षण-अधिगम में सक्रिय सहभागिता	2.8 (56%)	3.9 (78%)	+22%
2	व्यक्तिगत शिक्षण योजनाओं (IEP) का उपयोग	40%	69%	+29%
3	सहायक शिक्षण-सामग्री एवं ICT का उपयोग	46%	71%	+25%
4	सहपाठी सहयोगात्मक अधिगम (Peer Tutoring)	52%	75%	+23%
5	कक्षा में व्यवहारिक समायोजन	58%	80%	+22%
6	आत्मविश्वास एवं आत्म-अभिव्यक्ति स्तर	54%	77%	+23%
7	शिक्षक-विद्यार्थी अंतःक्रिया गुणवत्ता	60%	83%	+23%
8	समावेशी मूल्यांकन पद्धतियों का उपयोग	45%	68%	+23%



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

तालिकासे स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा नीतियों के विद्यालयी क्रियान्वयन से शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार के सुधार देखने को मिले। सक्रिय सहभागिता, सहपाठी सहयोग, तथा शिक्षक-विद्यार्थी अंतःक्रिया में औसतन 20-25% की वृद्धि दर्शाती है कि समावेशी कक्षा वातावरण ने सीखने को अधिक सहभागितापूर्ण और संवादात्मक बनाया। व्यक्तिगत शिक्षण योजनाओं (IEP) तथा सहायक ICT उपकरणों के उपयोग में वृद्धि से विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए अनुकूल शिक्षण परिस्थितियाँ विकसित हुईं। साथ ही, आत्मविश्वास एवं आत्म-अभिव्यक्ति स्तर में वृद्धि यह इंगित करती है कि समावेशी नीतियों ने विद्यार्थियों के मनो-सामाजिक विकास को भी सुदृढ़ किया। समग्रतः, यह तालिका प्रमाणित करती है कि समावेशी शिक्षा का प्रभाव केवल शैक्षणिक उपलब्धि तक सीमित न होकर व्यवहारिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आयामों में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है।

निष्कर्ष

विद्यालयी स्तर पर समावेशी शिक्षा नीतियों के क्रियान्वयन और उसके शैक्षिक परिणामों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि समावेशन केवल एक नीतिगत अवधारणा न होकर व्यावहारिक शैक्षिक सुधार का प्रभावी माध्यम है। अध्ययन से प्राप्त द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समावेशी शिक्षा नीतियों के व्यवस्थित क्रियान्वयन से विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, सहभागिता, उपस्थिति तथा सामाजिक समायोजन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की प्रगति, आत्मविश्वास एवं कक्षा में सक्रिय सहभागिता में सकारात्मक परिवर्तन यह दर्शाते हैं कि समावेशी वातावरण सीखने के अवसरों को अधिक न्यायसंगत एवं सुलभ बनाता है।

इसके अतिरिक्त, समावेशी नीतियों के प्रभाव से शिक्षक-विद्यार्थी अंतःक्रिया की गुणवत्ता में सुधार हुआ है तथा व्यक्तिगत शिक्षण योजनाओं (IEP), सहायक शिक्षण-सामग्री और ICT के उपयोग में वृद्धि देखी गई है, जिससे शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया अधिक लचीली और विद्यार्थी-केंद्रित बनी है। ड्रॉपआउट दर में कमी और अभिभावक संतुष्टि स्तर में वृद्धि यह संकेत देती है कि समावेशी शिक्षा विद्यालयी संस्कृति को अधिक सहयोगात्मक एवं संवेदनशील बनाती है।

हालाँकि, संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षकों का प्रशिक्षण, तथा आधारभूत संरचना जैसी चुनौतियाँ अभी भी प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती हैं। अतः आवश्यक है कि नीति-निर्माता, विद्यालय प्रशासन और शिक्षक सामूहिक प्रयासों से प्रशिक्षण, संसाधन-विकास तथा सतत मूल्यांकन को सुदृढ़ करें। समग्रतः, समावेशी शिक्षा नीतियाँ विद्यालयी स्तर पर शैक्षिक समानता, गुणवत्ता और समग्र विकास को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. भारत सरकार. (2016). दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. शिक्षा मंत्रालय. (2021). समग्र शिक्षा: कार्यक्रम दिशानिर्देश. भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. एनसीईआरटी. (2019). समावेशी शिक्षा: अवधारणा एवं व्यवहार. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।
5. शिक्षा मंत्रालय. (2022). यू-डाइस प्लस (UDISE+) विद्यालयी शिक्षा सांख्यिकी रिपोर्ट. भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. यूनेस्को. (2020). वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट: समावेशन और शिक्षा – सभी के लिए शिक्षा. पेरिस: यूनेस्को।
7. यूनिसेफ. (2019). दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा. न्यूयॉर्क: यूनिसेफ।
8. विश्व बैंक. (2018). विश्व विकास रिपोर्ट: शिक्षा के वादे को साकार करना. वाशिंगटन डी.सी.: विश्व बैंक।
9. शर्मा, उषा एवं डेपेलर, जोआन. (2017). भारत में समावेशी शिक्षा: नीति एवं व्यवहार की समीक्षा. अंतरराष्ट्रीय समावेशी शिक्षा जर्नल।
10. सिंगल, निधि. (2019). भारत में समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ और संभावनाएँ. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जर्नल।
11. एन्स्को, मेल एवं माइल्स, सुसान. (2018). सभी के लिए समावेशी शिक्षा: आगे की दिशा. प्रॉस्पेक्ट्स जर्नल।
12. बूथ, टोनी एवं एन्स्को, मेल. (2016). समावेशन सूचकांक: विद्यालयों में अधिगम एवं सहभागिता का विकास. ब्रिस्टल: सीएसआई।
13. शिक्षा मंत्रालय. (2022). विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की वार्षिक रिपोर्ट. भारत सरकार, नई दिल्ली।
14. फ्लोरियन, लोरेन. (2015). समावेशी शिक्षण पद्धति: व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए रूपांतरणकारी दृष्टिकोण. कैम्ब्रिज शिक्षा जर्नल।
15. यूनेस्को. (2017). शिक्षा में समावेशन एवं समानता सुनिश्चित करने हेतु मार्गदर्शिका. पेरिस: यूनेस्को।